## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 50 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015 | 12.06.2015 | 13.07.2022 |

डा0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री बद्री लाल जाट पुत्र श्री छीतर लाल जाट एफ.बी.ओ. मैसर्स हीरा लाल बद्री लाल किराणा बस स्टैण्ड के पास लावा तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी ग्राम गणेशपुरा लावा तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

2–मैसर्स हीरा लाल बद्री लाल किराणा बस स्टैण्ड के पास लावा तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

3–श्रीमति वीना जैन पत्नि श्री लालचन्द जैन सोल प्रोपराइटर मैसर्स बालाजी उद्योग जी–1–150 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 23 जय हनुमान कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक राज.

4–मैसर्स बालाजी उद्योग जी–1–150 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज.

...... अप्रार्थीगण

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)**

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु.।

:–निर्णय–:

दिनांक 13.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2015 समय 02:42 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स हीरा लाल बद्री लाल किराणा बस स्टैण्ड के पास लावा तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा वहां पर श्री बद्री लाल जाट पुत्र श्री छीतर लाल जाट उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बद्री लाल जाट ने स्वयं को मैसर्स हीरा लाल बद्री लाल किराणा बस स्टैण्ड के पास लावा तह. मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी, तेल, गुड़, शक्कर, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** 500–500 ग्राम के 24 नग रखे हुए थे, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री बद्री लाल जाट को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री बद्री लाल जाट व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय की जा रही हैं, 500–500 ग्राम के 4 नग खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** 500–500 ग्राम के चार पैकेट को अलग–अलग चार साफ व सूखे चौकोर कागज के प्लास्टिक के डिब्बों में 500–500 ग्राम प्रत्येक डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बों को ढक्कन से एयरटाइट नियमानुसार बन्द किया एवं अलग–अलग चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–934 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–934 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री बद्री लाल जाट पुत्र श्री छीतर लाल जाट एफ.बी.ओ. मैसर्स हीरा लाल बद्री लाल किराणा बस स्टैण्ड के पास लावा तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बालाजी उद्योग जी–1–150 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज. बिल पेश प्रस्तुत किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी एवं निर्माता होने के कारण मैसर्स बालाजी उद्योग जी–1–150 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक को फार्म 5 ए का नोटिस व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 1308 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकअजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 183 / एक्ट / 2015 / 183 दिनांक 20.03.2015 अनुसार विक्रेता श्री बद्री लाल जाट से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack) बाहय अपद्रव्यकी उपस्थिति (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **बाहय अपद्रव्यकी उपस्थिति (Extraneous Matter)** युक्त **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** का



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 26.02.2016 को श्री भजन लाल सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **बाह्य अपद्रव्यकी उपस्थिति (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पाउडर बालाजी पॉली पैक (Coriander Powder Balaji Poly Pack)** का नमूना जांच में **बाह्य अपद्रव्यकी उपस्थिति (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 54 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 75,000/– (अक्षरे पचहत्तर हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0